

बिहार विधान सभा सचिवालय

आवश्यक सूचना
विज्ञापन संख्या-04/2018

बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा विभिन्न कोटि के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रकाशित विज्ञापन संख्या-04/2018 के अन्तर्गत चालक पद पर नियुक्ति हेतु व्यवहारिक जाँच परीक्षा एवं साक्षात्कार का प्रावधान है, जबकि अन्य पदों पर नियुक्ति हेतु सिर्फ साक्षात्कार के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। इस आलोक में विज्ञापन संख्या-04/2018 के अन्तर्गत सर्वप्रथम चालक पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है।


चालक पद के सभी आवेदकों को सूचित किया जाता है कि :-

- 1 आवेदकों के वाहन चालन (एल.एम.वी./एच.एम.वी.) का वैध लाइसेंस के सत्यापन के उपरान्त योग्य अभ्यर्थियों की व्यवहारिक जांच परीक्षा एवं साक्षात्कार लिया जायेगा। इसकी सूचना अलग से बिहार विधान सभा की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।
- 2 वाहन चालन (एल.एम.वी./एच.एम.वी.) का वैध लाइसेंस के सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र बिहार विधान सभा की वेबसाइट www.vidhansabha.bih.nic.in पर दिनांक 27.05.2019 से 03.06.2019 तक उपलब्ध रहेगा। आवेदक अपना **Application No.** एवं **Date of Birth** के द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

आवेदकों को डाक से (By Post) प्रवेश-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

- 3 आवेदकों के वाहन चालन (एल.एम.वी./एच.एम.वी.) का वैध लाइसेंस का सत्यापन सभा सचिवालय के एनेक्सी भवन में दिनांक 08.06.2019 से 17.06.2019 तक होगा। इसका विस्तृत कार्यक्रम सभा सचिवालय के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा। सभी आवेदक निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व उक्त स्थल पर निश्चित रूप से पहुँच जाएँ।
- 4 आवेदक प्रवेश पत्र (**Admit Card**) के साथ वाहन चालन (एल.एम.वी./एच.एम.वी.) का वैध लाइसेंस की मूल प्रति तथा एक स्व-हस्ताक्षरित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे।
- 5 आवेदक प्रवेश-पत्र पर अंकित अनुदेशों का अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- 6 आवेदकों को उक्त स्थल पर तलाशी (Frisking) की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
- 7 आवेदक अपनी उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जायेगा।
- 8 यदि किसी आवेदक का प्रवेश-पत्र डाउनलोड नहीं हो पा रहा हो तो वे अपना ऑनलाइन आवेदन की प्रति संलग्न कर Email Id-blas.recruitment@gmail.com अथवा मोबाईल संख्या-9606094761 पर संपर्क कर सकते हैं।
- 9 प्रवेश-पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। प्रवेश-पत्र निर्गत होने से आवेदक की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। आपके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना तथा उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पर आपकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
- 10 जो आवेदक वाहन चालन (एल.एम.वी./एच.एम.वी.) का वैध लाइसेंस के सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित वैध लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जायेगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी।
- 11 विज्ञापन संख्या-04/2018 के अन्तर्गत अन्य पदों के लिए साक्षात्कार के संबंध में सूचना अलग से प्रदर्शित की जायेगी।

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर सरकारी वाह्य व्यक्ति हों बिहार विधान सभा सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या-0612-2215709 तथा ई-मेल: secretarybvs@gmail.com पर सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।


सचिव 10/05/19

बिहार विधान सभा, पटना।